उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-1/2024/22-4-2023-1146-2023

लखनऊ: दिनाँक 02 जनवरी, 2024

शुद्धि-पत्र/संशोधन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-77/2023/001-22-4-2023-1157-2023, दिनांक 22-12-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 में विभिन्न कारागारों में अलग-अलग 07 निर्माण कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश में अंकित सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित लागत की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति सहित स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 215.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22-12-2023 में अंकित सारणी के क्रमांक-3 में जिला कारागार बहराइच में महिला अहाते हेतु नवीन हास्पिटल व क्रैच का निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का नाम लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत अंकित हो गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 22-12-2023 में अंकित सारणी में क्रमांक-3 के स्तम्भ-4 में अंकित कार्यदायी संस्था के नाम को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	लागत की धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की जाने वाली की धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
3	जिला कारागार बहराइच	महिला अहाते हेतु नवीन हास्पिटल व क्रैच का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	17.64	17.64

3- शासनादेश संख्या-77/2023/001-22-4-2023-1157-2023, दिनांक 22-12-2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 22-12-2023 के शेष विवरण यथावत रहेगें।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-1 /2024/1146(1)/22-4-2023, तदिनांकित ।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड) लखनऊ।

(4) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।

(5)जिलाधिकारी, बहराइच।

(6)वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,जिला कारागार, बहराइच।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(10) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2

(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।